[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मत्रांलय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 3/2018 – संघ राज्य क्षेत्र कर

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2018
10 चैत्र, 1940 शक

सा. का. नि. .... (अ.).- केंद्र सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 22 की उप-धारा (1) और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के उप-नियम 14 के खंड (घ) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि प्रेषित माल के मूल्य पर ध्यान दिए बिना, कोई ई-वे बिल बनाना अपेक्षित नहीं होगा जहां माल की आवाजाही चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के भीतर शुरू और समाप्त होती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. एस 31011/25/2017-राज्य कर-I-राजस्व विभाग]

(एस. आर. मीना)
अवर सचिव, भारत सरकार